[2008] 17 एससीआर 1313

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.

बनाम

सदानन्द मुखी एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 7402/2008)

18 दिसंबर, 2008

[एस.बी. सिन्हा और सिरियाक जोसेफ, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: धारा 147, 165 - अधिनियम नीति - बीमित वाहन चलाते समय बीमित वाहन के मालिक के बेटे की मृत्यु - मालिक को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी का दायित्व - निर्णय: उत्तरदायी नहीं क्योंकि बेटा तीसरा पक्ष नहीं था - बीमा अधिनियम, 1938।

बीमा अधिनियम, 1938: बीमाकर्ता का दायित्व - वैधानिक या संविदात्मक - के बीच अंतर।

वर्तमान अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या बीमा कम्पनी, बीमाकृत व्यक्ति के पुत्र द्वारा चलाए जा रहे वाहन के प्रयोग से हुई दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

निर्णय : 1.1 . मोटर वाहन के बीमा का अनुबंध बीमा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। पॉलिसी की शर्तें और साथ ही संबंधित वाहन का बीमा करने के लिए देय प्रीमियम की मात्रा न केवल वाहन की वहन क्षमता पर निर्भर करती है, बल्कि उस उद्देश्य पर भी निर्भर करती है जिसके लिए उसका उपयोग किया जा रहा था और उसके द्वारा कवर किए गए जोखिम की सीमा पर भी निर्भर करती है। 'एक्ट पॉलिसी' लेने से, वाहन का मालिक मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 में निहित अपने वैधानिक दायित्व को पूरा करता है। बीमाकर्ता का दायित्व या तो वैधानिक या संविदात्मक होता है। यदि यह संविदात्मक है तो इसका दायित्व बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए गए जोखिम तक विस्तारित होता है। यदि अतिरिक्त जोखिमों को कवर करने की मांग की जाती है, तो अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह कहना एक बात है कि जीवन अनिश्चित है और इसे कवर करने की आवश्यकता है, लेकिन यह दूसरी बात है।

यह कहना कि किसी कानून को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को राहत मिले जिसकी अधिनियम द्वारा कल्पना नहीं की गई है। जब तक कोई कानून असंवैधानिक नहीं पाया जाता, तब तक न्यायालय को उसकी तर्कसंगतता पर विचार नहीं करना चाहिए। अन्यथा भी बीमा अधिनियम के प्रावधानों के साथ अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह से तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। [पैरा 15] [1320-एफए; 1321-बीसी]

1.2. यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अधिनियम की धारा 163-ए का भी सहारा लिया गया हो। प्रतिवादियों ने अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन दायर किया। मोटर वाहन के संबंध में केवल अधिनियम नीति ली गई थी। दावेदारों का यह कहना कि दो पहिया वाहन होने के कारण, वाहन दुर्घटना के लिए अधिक प्रवण था और इसलिए, जो कोई भी इसके उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना का शिकार होता है, वह अधिनियम की धारा 147 में दिए गए "व्यक्ति" शब्द के दायरे में आएगा, सही नहीं है। [पैरा 13 और 14] [1320-ईएफ]

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम तिलक सिंह, (2006) 4 एससीसी 404; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम झूमा साहा , (2007) 9 एससीसी 263; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल (2007) 5 एससीसी 428; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दविंदर सिंह, (2007) 8 एससीसी 698 और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धुत , (2007) 3 एससीसी 700, का उल्लेख किया गया।

केस लॉ संदर्भ:

(2006) 4 एससीसी 404	करने के लिए भेजा	पैरा 18
(2007) 9 एससीसी 263	करने के लिए भेजा	पैरा 18
(2007) 5 एससीसी 428	करने के लिए भेजा	पैरा 18
(2007) 8 एससीसी 698	करने के लिए भेजा	पैरा 18
(2007) 3 एससीसी 700	करने के लिए भेजा	पैरा 18

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7402/2008।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के एम.ए. संख्या 135/2004 के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.1.2007 से।

प्रदीप कुमार बक्शी , रजत नवेत और मधुर यादव अपीलार्थी की ओर से ।

प्रतिवादी की ओर से अनूप बनर्जी, आर.के. श्रीवास्तव और टी. मुखर्जी।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

एस.बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 18 जनवरी, 2007 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 173 के अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील, सरायकेला स्थित जिला न्यायाधीश-सह-मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 26 मार्च, 2004 के निर्णय एवं पुरस्कार के विरुद्ध खारिज कर दी गई थी।

3. मामले का स्वीकृत तथ्य इस प्रकार है:-

प्रथम प्रतिवादी एक मोटर साइकिल का मालिक था। उसने उक्त वाहन का बीमा अपीलकर्ता कंपनी से करवाया था; पॉलिसी 9.9.1999 और 8.9.2000 की अवधि के लिए वैध थी। 8 सितंबर, 2000 को तासु बीमाधारक के बेटे मुखी की मोटर साइकिल चलाते समय दुर्घटना हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। कथित तौर पर दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि एक आवारा कुत्ता वाहन के सामने आ गया। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई। प्रतिवादियों ने दावा याचिका दायर की। उनमें से प्रथम प्रतिवादी, जो बीमाकृत वाहन का मालिक है, आवेदक था।

4. अपीलकर्ता ने यहां एक विशिष्ट तर्क दिया कि मृतक और मोटर वाहन के मालिक यानी पिता और पुत्र के बीच संबंध को ध्यान में रखते हुए, वह तीसरा पक्ष नहीं था, और कहा:-

> "5. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीमाकर्ता तीसरे पक्ष के जोखिम की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। मोटर वाहन दुर्घटना के दौरान और पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में बीमाकर्ता मालिक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। इस मामले में वाहन का चालक निस्संदेह तीसरा पक्ष नहीं है और इस तरह न्यायाधिकरण के पास मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।
>
> 6. जहां तक मोटर साइकिल के चालक की लापरवाही का सवाल है, दावेदारों को सकारात्मक रूप से यह साबित करना होगा कि

जब तक यह साबित नहीं हो जाता, दावा न्यायाधिकरण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे का कोई आदेश पारित नहीं कर सकता।

7. यह भी कहा गया है कि दावेदार अपनी दावा याचिका में लापरवाही के बारे में दलील देने में विफल रहे जिसके कारण दुर्घटना हुई। दूसरी ओर, परिस्थितियाँ बताती हैं कि मृतक स्वयं अनियंत्रित गति और लापरवाही से मोटर वाहन चला रहा था जिसके कारण दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप वह और पीछे बैठा व्यक्ति गिर गए और मृतक की मृत्यु हो गई। इसलिए, वाहन के मालिक की ओर से लापरवाही के अभाव में दावेदार अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर मुआवजे की मांग नहीं कर सकते।

8. यह कृत्य यह सुझाता है कि मृतक स्वयं तीसरा पक्ष न होते हुए भी दुर्घटना का कारण बना और ऐसे कृत्य के कारण उसे कथित रूप से जो हानि हुई, वह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 165(1) या धारा (1) के दायरे, परिधि और प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है।"

5. पक्षों की उपर्युक्त दलीलों के मद्देनजर, मुद्दे निम्नलिखित रूप में तैयार किए गए: -

"1. क्या दावेदारों के पास कोई कार्रवाई का कारण या मुकदमा करने का अधिकार है और क्या मामला स्वीकार्य है और मृतक तीसरा पक्ष था?

2. क्या दुर्घटना यामाहा मोटर साइकिल संख्या BR-16B-6002 के चालक द्वारा लापरवाही से तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई?

3. क्या मृतक स्वयं लापरवाही से वाहन चला रहा था और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था और क्या मृतक की मृत्यु मोटर वाहन दुर्घटना के कारण हुई थी?

4. क्या मालिक ने वाहन की शर्तों का उल्लंघन किया है जिसके लिए वाहन का बीमा बीमाकर्ता, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तहत किया गया था?

5. क्या दावेदार को लाभ प्राप्त करने का अधिकार है?

मुआवजा राशि क्या होगी और यदि हां, तो मुआवजे की मात्रा कितनी होनी चाहिए ?

6. क्या वाहन का बीमाकर्ता वाहन के बीमित स्वामी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है?

7. क्या दावेदारों को उनके द्वारा दावा किये गये किसी राहत या राहत पाने का अधिकार है?

6. न्यायाधिकरण ने इसमें शामिल प्रश्न पर विचार नहीं किया।

हालाँकि, मुद्दा संख्या 2 और 3 का निर्धारण करते समय यह माना गया: - "इसलिए दावेदार की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व्यावहारिक रूप से एकपक्षीय प्रकृति के हैं और यह दर्शाता है कि मृतक की मृत्यु वाहन दुर्घटना के संबंध में हुई थी। दूसरे शब्दों में, वह वाहन के उपयोग के कारण मर गया। इस प्रकार दोनों मुद्दे दावेदारों के पक्ष में तय किए जाते हैं।

मुद्दा संख्या 1 और 7 पर यह राय व्यक्त की गई: -

"मुद्दा संख्या 1 और 7: ऊपर की गई चर्चाओं के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि दावेदार का आवेदन स्वीकार्य है और आवेदक ऊपर बताए अनुसार ओपी संख्या 1 से मुआवजा पाने के हकदार हैं। तदनुसार, दोनों मुद्दे आवेदकों के पक्ष में तय किए जाते हैं।"

अतः स्पष्टतः उक्त मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं दिया गया।

7. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने अपने अपील ज्ञापन में विशिष्ट मुद्दे उठाए, जो इस प्रकार हैं:-

"सी. इसके लिए नीचे के विद्वान न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि चूंकि वर्तमान मामले में मृतक तीसरा पक्ष नहीं था बल्कि वह दुर्घटना के प्रासंगिक समय पर बीमाधारक का पुत्र था जो वाहन को तेजी और लापरवाही से चला रहा था, बीमाधारक तब तक मुआवजे का दावा नहीं कर सकता जब तक कि बीमाधारक की ओर से लापरवाही स्थापित और साबित नहीं हो जाती।

इसके लिए विद्वान न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान हैं

तीसरे पक्ष की मृत्यु पर बीमाधारक द्वारा बीमा कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने का प्रावधान है , लेकिन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत बीमाधारक स्वयं से मुआवजे का दावा कर सके।

8. उच्च न्यायालय ने भी उक्त मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रदीप कुमार बख्शी ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 146, 147 और 149 (2) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बीमाधारक के पुत्र की मृत्यु के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अरूप बनर्जी का तर्क है कि मोटर वाहन के अनिवार्य बीमा को रेखांकित करने वाली विधायी नीति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी कि जीवन अनिश्चित है, इसलिए इसे कवर किया जाना आवश्यक है। विद्वान वकील का तर्क है कि इसे सवार को बाहर नहीं रखा जा सकता है, भले ही वह मालिक का बेटा हो, और इस प्रकार, वह बीमा कंपनी के संबंध में एक तीसरा पक्ष होगा। विद्वान वकील के अनुसार, वाहन का उपयोग करने वाले चालक को बाहर रखना पूरी तरह से अनुचित होगा क्योंकि उसकी मृत्यु पर उसका परिवार पीड़ित होता है।

श्री बनर्जी का तर्क है कि, निस्संदेह, मोटर वाहन का उपयोग प्रकृति में खतरनाक है और इस प्रकार यह मानने का कोई कारण नहीं हो सकता है कि अनिवार्य बीमा वाले प्रावधानों को चालक को बाहर रखा जाएगा। विद्वान वकील के अनुसार, अगर दुर्घटना चालक की ओर से तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई होती तो मामला अलग हो सकता था और इस तरह के मामले में, * जहां दुर्घटना हुई थी, जो किसी के नियंत्रण से परे थी, उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

11. अधिनियम के अध्याय XI और XII में प्रतिकर प्रदान करने से संबंधित प्रावधानों को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है ताकि उसमें उल्लिखित उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

12. अधिनियम की धारा 146 में निम्नलिखित आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं:

बीमा । जहां तीसरे पक्ष का जोखिम शामिल है, वहां बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य है।

हालाँकि, पॉलिसियों की आवश्यकताएँ और देयता की सीमाएँ अधिनियम की धारा 147 में बताई गई हैं। अधिनियम की धारा 147(1)(बी) इस प्रकार है:

"147. पॉलिसियों की आवश्यकताएं और देयता की सीमाएं .- (1)

इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, बीमा पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो-

(ख) पॉलिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों का उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक बीमा करता है-

(i) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में उसके द्वारा वहन की जाने वाली किसी भी देयता के विरुद्ध, जिसमें वाहन में ले जाए जाने वाले माल का स्वामी या उसका अधिकृत प्रतिनिधि शामिल है, या किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुई क्षति शामिल है;

(ii) किसी सार्वजनिक सेवा वाहन के किसी यात्री की सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण हुई मृत्यु या शारीरिक चोट के विरुद्ध :

बशर्ते कि किसी पॉलिसी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि-

(i) पॉलिसी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति के कर्मचारी की उसके नियोजन के दौरान या उसके कारण होने वाली मृत्यु के संबंध में या ऐसे कर्मचारी को उसके नियोजन के दौरान होने वाली शारीरिक चोट के संबंध में देयता को कवर करने के लिए, जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन उत्पन्न होने वाली देयता से भिन्न है, ऐसे किसी कर्मचारी की मृत्यु या उसे शारीरिक चोट के संबंध में देयता को कवर करने के लिए-

(a) वाहन चलाने में लगे हुए हैं, या

(b) यदि यह एक सार्वजनिक सेवा वाहन है, जो वाहन के कंडक्टर के रूप में या वाहन पर टिकटों की जांच करने में लगा हुआ है, या

(c) यदि यह माल गाड़ी है, जिसे वाहन में ले जाया जा रहा है, या

(ii) किसी भी संविदात्मक दायित्व को कवर करने के लिए ।

स्पष्टीकरण.- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण हुआ माना जाएगा, भले ही वह व्यक्ति जो मर गया है या घायल हो गया है या वह संपत्ति जिसे नुकसान पहुंचा है, दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान पर नहीं था, यदि वह कार्य या चूक जिसके कारण दुर्घटना हुई, सार्वजनिक स्थान पर हुई थी।"

13. इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों में दो प्रकार के बीमा का प्रावधान है - एक वैधानिक प्रकृति का और दूसरा संविदात्मक प्रकृति का। जहाँ बीमा कंपनी किसी व्यक्ति की दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में मोटर वाहन के मालिक या चालक को मुआवजा देने के लिए बाध्य है; वहीं यदि वाहन के मालिक या अन्य को कवर करने का प्रस्ताव है, तो उनके जीवन और संपत्ति को कवर करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक है।

14. यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अधिनियम की धारा 163-ए का भी सहारा लिया गया हो। प्रतिवादियों ने अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन दायर किया। मोटर वाहन के संबंध में केवल एक अधिनियम नीति ली गई थी। विद्वान वकील का यह कहना कि दो पहिया वाहन होने के कारण, वाहन दुर्घटना के लिए अधिक प्रवण था और इसलिए, जो कोई भी इसके उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना का शिकार होता है, वह अधिनियम की धारा 147 में दिए गए "व्यक्ति" शब्द के दायरे में आएगा, हमारी राय में, सही नहीं है।

15. मोटर वाहन के बीमा का अनुबंध बीमा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। पॉलिसी की शर्तें और साथ ही संबंधित वाहन का बीमा करने के लिए देय प्रीमियम की मात्रा न केवल वाहन की वहन क्षमता पर निर्भर करती है, बल्कि उस उद्देश्य पर भी निर्भर करती है जिसके लिए उसका उपयोग किया जा रहा था और उसके द्वारा कवर किए गए जोखिम की सीमा पर भी। 'एक्ट पॉलिसी' लेने से, वाहन का मालिक अधिनियम की धारा 147 में निहित अपने वैधानिक दायित्व को पूरा करता है।

बीमाकर्ता का दायित्व या तो वैधानिक या संविदात्मक होता है। यदि यह संविदात्मक है तो इसका दायित्व बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए गए जोखिम तक विस्तारित होता है। यदि अतिरिक्त जोखिमों को कवर करने की मांग की जाती है, तो अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार किया जाए, तो काफी हद तक बीमा अधिनियम के प्रावधान निरर्थक हो जाते हैं। इस तरह की व्याख्या के कारण बीमाकर्ता न केवल तीसरे पक्ष के जोखिम को कवर करने के लिए उत्तरदायी होगा, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जो अन्यथा इसके दायरे में नहीं आते हैं। यह कहना एक बात है कि जीवन अनिश्चित है और इसे कवर किया जाना आवश्यक है, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि हमें किसी कानून को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि अधिनियम द्वारा परिकल्पित व्यक्ति को राहत न दी जाए। जब तक कोई कानून असंवैधानिक नहीं पाया जाता, तब तक न्यायालय को उसकी तर्कसंगतता पर विचार नहीं करना चाहिए। अन्यथा भी अधिनियम के प्रावधान बीमा अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़े जाने पर पूरी तरह तर्कसंगत प्रतीत होते हैं।

16.मोटर वाहन चलाने से दुर्घटना हो सकती है, जिसमें न केवल तीसरे पक्ष की जान और संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि वाहन के मालिक और बीमित वाहन की भी जान और संपत्ति का नुकसान होता है, इसलिए बीमा अधिनियम में अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं और अधिनियम में विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसियाँ निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक पॉलिसी के लिए भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि बीमा अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है। एक वैधानिक नियामक प्राधिकरण मानदंड और दिशा-निर्देश तय करता है।

17.उपर्युक्त संसदीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आइए हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करें ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या बीमाकर्ता, उस वाहन के उपयोग से हुई दुर्घटना के संबंध में मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिसे बीमाधारक का पुत्र चला रहा था।

18.उक्त प्रयोजन के लिए हम दावों की विभिन्न श्रेणियों को कवर करने वाले कुछ निर्णयों पर गौर कर सकते हैं।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम तिलक सिंह मामले में , [(2006) 4 एससीसी 404] इस न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 तथा 1988 अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह राय व्यक्त की कि बीमा कंपनी मृतक, जो कि पीछे बैठा था, को हुई चोटों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, क्योंकि बीमा पॉलिसी एक वैधानिक पॉलिसी थी, जो कि अनावश्यक यात्री को कवर नहीं करती थी।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम झूमा साहा , [(2007) 9 एस.सी.सी. 263] में यह माना गया कि:-

"10. मृतक वाहन का मालिक था। दावा याचिका में बताए गए कारणों या अन्यथा, दुर्घटना के लिए उसे स्वयं दोषी ठहराया जाना चाहिए। दुर्घटना में उस मोटर वाहन के अलावा कोई अन्य मोटर वाहन शामिल नहीं था जिसे वह चला रहा था। विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि मृतक स्वयं लापरवाह था, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दावा याचिका पोषणीय होगी ।

11. बीमाकर्ता कंपनी का दायित्व प्रतिवादी या घायल व्यक्ति, किसी तीसरे व्यक्ति या संपत्ति के नुकसान के संबंध में बीमाधारक की क्षतिपूर्ति की सीमा तक है। इस प्रकार, यदि बीमाधारक को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी दायित्व से नहीं जोड़ा जा सकता है, तो बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।"

इसके अलावा यह भी कहा गया कि: -

"13. वाहन के मालिक की मृत्यु या शारीरिक चोट के संपूर्ण जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। यदि ऐसा है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 (बी) जो स्पष्ट रूप से केवल तीसरे पक्ष के जोखिम को कवर करती है, वर्तमान मामले में लागू होगी।"

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना मामले में पुनः विचारार्थ आया। वरियाल [(2007) 5 एससीसी 428] एफ जिसमें यह देखा गया था: -

"13. जैसा कि हम अधिनियम की धारा 147(1) को समझते हैं, इसके अंतर्गत बीमा पॉलिसी में दुर्घटना के कारण या उसके दौरान होने वाली मृत्यु या चोट के संबंध में देयता को कवर करने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिसी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति के किसी कर्मचारी के रोजगार के बारे में, जब तक कि यह चालक के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली देयता न हो, और सार्वजनिक सेवा वाहन के मामले में कंडक्टर भी, और यदि यह माल वाहन है तो माल के मालिक या उसके प्रतिनिधि के रूप में वाहन में ले जाए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में। यह प्रावधान किया गया है कि पॉलिसी में किसी भी तरह के बीमा को कवर करने की आवश्यकता नहीं होगी।

संविदात्मक दायित्व। अधिकारियों से प्रभावित हुए बिना, हमें इस प्रावधान को समझने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि यह प्रावधान यह प्रदान करता है कि पॉलिसी को सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न किसी तीसरे पक्ष के प्रति किसी भी दायित्व के विरुद्ध स्वामी का बीमा करना चाहिए, तथा सार्वजनिक सेवा वाहन के किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के विरुद्ध बीमा करना चाहिए, जो सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न हो। प्रावधान स्पष्ट करता है कि पॉलिसी को बीमाकृत व्यक्ति के किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के दौरान या उसके कारण होने वाली शारीरिक चोट या मृत्यु के संबंध में कवर करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर, पिछले पूर्वगामी के लिए एक अपवाद प्रदान किया गया है कि पॉलिसी को कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत उत्पन्न होने वाली देयता को कवर करना चाहिए, जो वाहन चलाने में लगे हुए हैं या जो सार्वजनिक सेवा वाहन में कंडक्टर के रूप में काम करते हैं या जो कर्मचारी माल ले जाने वाले नियोक्ता के वाहन में यात्रा करते हैं, यदि वह माल गाड़ी है। धारा 149(1), जो बीमाकर्ता पर किसी पुरस्कार को संतुष्ट करने का दायित्व डालती है, केवल उस दायित्व के संबंध में पुरस्कार की बात करती है जिसे धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत पॉलिसी द्वारा कवर किया जाना आवश्यक है (पॉलिसी की शर्तों द्वारा कवर किया गया दायित्व)। इसलिए इस प्रावधान का उपयोग दायित्व को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है यदि यह अधिनियम की धारा 147 के अनुसार मौजूद नहीं है।

14. इस प्रकार अधिनियम के अध्याय XI के अंतर्गत बीमा पर जोर देने का उद्देश्य तीसरे पक्ष के व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित देयता को अनिवार्य रूप से कवर करना प्रतीत होता है और बीमित नियोक्ता के कर्मचारियों के संबंध में, वह देयता जो चालक, कंडक्टर और माल ले जाने वाले माल वाहन में सवार व्यक्ति के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत उत्पन्न हो सकती है। धारा 147 की इस स्पष्ट समझ के आधार पर, हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि बीमा कंपनी, इस मामले में, अपने किसी कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में मालिक, नियोक्ता कंपनी, बीमाकृत व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी थी, जो दावे के अनुसार चालक नहीं था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि देयता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली देयता नहीं है और यह संदिग्ध है,

पर , क्या मृतक को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आने वाला कर्मकार समझा जा सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 147 को सरलता से पढ़ने पर, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बीमा कंपनी इस मामले में बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।"

उक्त सिद्धांत को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में दोहराया गया था। दविंदर सिंह, [(2007) 8 एससीसी 698] होल्डिंग:-

"10. इस प्रकार, यह स्वयंसिद्ध है कि जबकि बीमा कंपनी को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य और तात्पर्य को पूरा करने के उद्देश्य से मालिक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, वहीं ऐसा उस मामले में आवश्यक नहीं हो सकता है जहां बीमा कंपनी वाहन के मालिक को उसके स्वयं के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने से इंकार कर सकती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत गठित फोरम के समक्ष लाभकारी कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले तात्पर्य और उद्देश्य तथा उपभोक्ता फोरम के समक्ष अनुबंध के प्रवर्तन के संबंध में बीमाकर्ता के वैधानिक दायित्व के संबंध में एक अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए । "

19. प्रतिवादियों के विद्वान वकील का तर्क है कि अधिनियम का उद्देश्य और अभिप्राय किसी व्यक्ति के जीवन के जोखिम को कवर करना है, इसलिए उक्त निर्णय को इस मामले में भी लागू किया जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी मामले में उक्त निर्णय को पढ़ना सही होगा। नारायण धुत , [(2007) 3 एससीसी 700] का अनुसरण किया गया है। लक्ष्मी नारायण धुत (उपर्युक्त) में वैधानिक नीति और संविदात्मक नीति के बीच अंतर स्पष्ट रूप से बताया गया है।

ये निर्णय स्पष्टतः वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं।

20. उपर्युक्त आधिकारिक घोषणाओं के मद्देनजर, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं थी। इसलिए, विवादित निर्णयों को बरकरार नहीं रखा जा सकता। तदनुसार उन्हें रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

डी. जी . अपील स्वीकृत।

<u>यह अनुवाद लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>